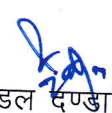


न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

Online

आदेश फलक

वाद सं० एम० 148/2021-22
धारा 107 दं० प्र० सं०

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई टिप्पणी एवं तिथि
1 20/3/22	थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं० 04/2022 दिनांक 27/02/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) रामचन्द्र साहु उम्र 45 वर्ष पिता स्व० परिबल साहु (2) दीपक साहु उम्र 21 वर्ष पिता स्व० जनक साहु दोनों सा० कोंडेकेरा थाना कामडारा जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) फिरन साहु उम्र 51 वर्ष (2) रमाकान्त साहु (3) जैन साहु उम्र 45 वर्ष तीनों पिता स्व० गोंदरा ओहदार ग्राम +थाना कामडारा, जिला गुमला के बीच खाता सं० 150 एवं 158 कुल रकबा 2.84 ए० भूमि के कुछ हिस्से भूमि में द्वितीय पक्ष के द्वारा मकान निर्माण किया जा रहा है जो की प्रथम पक्ष के खरीदगी भूमि है जिसको लेकर उभय पक्षों के बीच विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा अशांति फैलाने विधि-व्यवस्था की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है। अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया उक्त प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर धारा 107 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्य वाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष के विरुद्ध कारण पृच्छा नोटिस निर्गत करें। उभय पक्ष दिनांक 04/04/2022 को समय 11:00 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं आपलोग से 5000 (पाँच हजार) रुपये एवं उतने ही राशि के दो प्रतिभूति के साथ एक साल तक शांति कायम हेतु बंध पत्र लिया जाए। दिनांक 04/04/2022 को रखें।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)। 04/4/22 <i>आदेश पर उपस्थापित</i> <i>नोटिस को वापिस प्रतिवेदन प्राप्त हो</i> <i>आदेश 21/4/22 को रखें</i> अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)	